

प्रेषक,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
31/62 राजपुर रोड,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

1- नगर आयुक्त,
समस्त नगर निगम,
उत्तराखण्ड।

2- अधिशासी अधिकारी,
समस्त नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत,
उत्तराखण्ड।

दिनांक:- 05 सितम्बर, 2017

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में ड्राफ्ट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य-योजना में आपत्ति/सुझाव उपलब्ध कराने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित O.A. 199/2014 अलमित्रा एच0 पटेल बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिये गये निर्देशों के क्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य-योजना को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के अनुसार GIZ के तकनीकी सहयोग से बनाया गया है।

उक्त कार्य-योजना इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। जिसका अध्ययन कर अपने सुझाव/आपत्ति दिनांक 21 सितम्बर, 2017 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।


भवदीय,


05.09.17
(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री चन्द्र प्रकाश रावत, एम0आई0एस0 विशेषज्ञ, PMAY को इस आशय से प्रेषित कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य-योजना को दिनांक 5 सितम्बर, 2017 तक निदेशालय की साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक